

विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर :

प्रश्न

3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-चन्दौली के चकिया विकास खण्ड के ग्राम-बैरी में पंचायत भवन के पास सरकारी भूमि होने के बावजूद राशन की दुकान के निर्माण हेतु किसी दूसरे गांव में गैर सरकारी भूमि दान में क्यों ली गयी है?

(ख) राशन के दुकानों के निर्माण के लिए जारी शासनादेश में कोई ऐसा बिन्दु है कि पंचायत भवन के पास सरकारी भूमि होने के बावजूद भी निजी भूमि दान लेकर खाद्य एवं रसद विभाग राशन की दुकानों का निर्माण करेगा?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिलाधिकारी चन्दौली की आख्या दिनांक 18.11.2023 के अनुसार विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत रामपुर कला के राजस्व ग्राम-बैरी में पंचायत भवन परिसर के समीप उचित दर की दुकान के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायत रामपुर कला में जो कि राजस्व ग्राम बैरी की मूल ग्राम पंचायत है, में विधि सम्मत तरीके से दुकान निर्माण का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया है।

पंचायत भवन परिसर के समीप उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत रामपुर कला के प्रस्ताव के उपरान्त दान में प्राप्त भूमि पर सुगम यातायात को दृष्टिगत रखते हुए, उचित दर की दुकान का निर्माण मनरेगा से कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।